भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1981
सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े

1981. डॉ. शशि थरूरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा जारी किये गए आंकडों के अनुसार, महामारी के दौरान पूरे देश में भारत में बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर 11.58 प्रतिशत पर पहुंच गई है और यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौकरियों के सृजन के संबंध में तत्काल और दीर्घकालिक समाधान किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मनरेगा योजना के लिए आवंटन में कमी करने के बावजूद मंत्रालय अपनी योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित करेगा; और

(घ) क्या मंत्रालय ने काम की मांग में हुई वृद्धि से निपटने के लिए उपाय किए हैं या करने की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान पिछले पांच वर्षों के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) अनुबंध में दी गई है।

(ख) से (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं ,को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। एमजीएनआरईजीएस के तहत 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था ताकि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान से 39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है।

पीएम गतिशक्ति आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के विशाल अवसर पैदा होते हैं।

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर सतत ध्यान देने के मद्देनजर रेलवे, सड़क, शहरी परिवहन, बिजली, दूरसंचार, कपड़ा और किफायती आवास पर बल दिया है। बजट 2021-22 द्वारा 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई है। इन सभी पहलों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा देना अपेक्षित है।

भारत सरकार पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है जिसमें रोजगार सृजन हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), ग्रामीण विकास मंत्रालय की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय करना शामिल है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारों जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख हैं।

*****

लोक सभा के दिनांक 14.03.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)				
	श्रम ब्यूरो		आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण		
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आंध्र प्रदेश	3.5	3.1	4.5	5.3	4.7
अरुणाचल प्रदेश	3.9	4.2	5.8	7.7	6.7
असम	4.0	4.4	7.9	6.7	7.9
बिहार	4.4	5.4	7.0	9.8	5.1
छत्तीसगढ	1.2	2.9	3.3	2.4	3.3
दिल्ली	3.1	4.6	9.4	10.4	8.6
गोवा	9.0	10.1	13.9	8.7	8.1
गुजरात	0.6	0.8	4.8	3.2	2.0
हरियाणा	3.3	5.2	8.4	9.3	6.4
हिमाचल प्रदेश	10.2	2.6	5.5	5.1	3.7
जम्मू और कश्मीर	6.6	8.1	5.4	5.1	6.7
झारखंड	2.2	5.8	7.5	5.2	4.2
कर्नाटक	1.4	1.8	4.8	3.6	4.2
केरल	10.6	11.1	11.4	9.0	10.0
मध्य प्रदेश	3.0	4	4.3	3.5	3.0
महाराष्ट्र	1.5	1.6	4.8	5.0	3.2
मणिपुर	3.4	3.9	11.5	9.4	9.5
मेघालय	4.0	3.3	1.6	2.7	2.7
मिजोरम	1.5	2.9	10.1	7.0	5.7
नागालैंड	5.6	5.2	21.4	17.4	25.7
ओड़िशा	3.8	4.7	7.1	7.0	6.2
पंजाब	5.8	6.5	7.7	7.4	7.3
राजस्थान	2.5	2.7	5.0	5.7	4.5
सिक्किम	8.9	5.9	3.5	3.1	2.2
तमिलनाडु	3.8	3.7	7.5	6.6	5.3
तेलंगाना	2.7	2.7	7.6	8.3	7.0
त्रिपुरा	10.0	15	6.8	10.0	3.2
उत्तराखंड	6.1	3.3	7.6	8.9	7.1
उत्तर प्रदेश	5.8	5.2	6.2	5.7	4.4
पश्चिम बंगाल	3.6	3.7	4.6	3.8	4.6
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	12.0	8.3	15./8	13.5	12.6
चंडीगढ़	3.4	1.3	9.0	7.3	6.3
दादरा और नगर हवेली	2.7	1.8	0.4	1.5	3.0
दमन और दीव	0.3	1.5	3.1	0.0	2.9
लक्षद्वीप	4.3	5.2	21.3	31.6	13.7
पुदुचेरी	4.8	5.7	10.3	8.3	7.6
लद्दाख	-		-	-	0.1
अखिल भारत	**3.7**	**3.9**	**6.0**	**5.8**	**4.8**

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण मंत्रालय, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय

**तुलनात्मकता के लिए, उपर्युक्त सर्वेक्षणों अर्थात श्रम ब्यूरो और पीएलएफएस के परिणामों को उस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है जिसके साथ सर्वेक्षण पद्धति और नमूना चयन तैयार किया गया है*